# <u>न्यायालय:–अतिरिक्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</u> प्रकरण क्रमांक 31 / 13 क्लेम

कौशलिकशोर सेन आयु 30 साल पुत्र गुलाबसिंह जाति श्रीवास निवासी गुगांवली थाना बडागांव जिला झांसी उ०प्र0

---- आवेदक

बनाम

1–वीरेन्द्र सिंह पुत्र गजाधरसिंह आयु 40 साल जाति यादव निवासी नगलादया थाना चौबिया जिला इटावा उ०प्र0

2—शाखा प्रबंधक, महोदय यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इटावा उ०प्र0

-----बीमा कंपनी/अनावेदक

\_\_\_\_\_

आवेदक द्वारा श्री के०पी०राठोर अधिवक्ता अनावेदक कं० 1 द्वारा श्री ए०के०समाधिया अधिवक्ता अनावेदक कं० 2 द्वारा श्री आर०के०वाजपेयी अधिवक्ता

\_\_\_\_\_

/ / अधि—निर्णय / /

//आज दिनांक 21–2–15 को घोषित किया गया //

- 1— आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 एवं 140 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदकगण ने डिस्कवर मोटरसायिकलद्रक क्रमांक यू०पी०75 एफ 1225 के स्वामी चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध उक्त दुधर्टना में आवेदक को टक्कर मारने से आयी उपहित के आधार पर 2601000/— रूपये एवं ब्याज दिलाये जाने वाबत् क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र पेश किया गया है।
- 2— यह अविवादित है कि वाहन क्रमांक यू०पी०७७एफ 1225 का चालक एवं मालिक अनावेदक क्रमांक—1 है तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक—2 के यहां बीमित है ।
- 3— आवेदकगण का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 23—9—12 को सुबह 9 बजे का समय होगा तब आवेदक अपनी साईकिल से लेपीनेश फेक्ट्री मालनपुर में मजदूरी के लिये जा रहा था तभी गोहद की तरफ से तेजी व लापरवाही से अनावेदक क्रमांक 1 अपने स्वामित्व व आधिपत्य की

मोटरसायिकल डिस्कवर क्रमांक यू०पी०७७एफ—1225 को चलाकर उसकी साईकिल में पीछे से टक्कर मारदी जिससे मौके पर गिर पड़ा और उसके सिर में पीठ में कई चोटें आयी और खून निकल आया और वहां पर उपिश्थित उसके साले मुकेश पुत्र द्वारिका प्रसाद सेन ने उसे ले जाकर थाना मालनपुर पर अनावेदक कं01 के स्वामित्व की मोटरसायिकल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी जो अप०कं0 138/12 धारा 279,337 भा०द०सं० एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 139 के तहत दर्ज हुयी । आवेदक को पुलिस थाना मालनपुर ईलाज के लिये गोहद लाये और गोहद से तुरन्त बड़े अस्पताल जयारोग्य में अन्तरित कर दिया जहां उसे कई दिनों तक भर्ती रहना पड़ा और उसका ईलाज हुआ । थाना मालनपुर द्वारा अनावेदक क्रमांक—1 के विरूद्ध उसके शरीर में आई चोटें एवं मिस्तिस्क में हुये फ्रेक्चर के मद्दे नजर धारा 338 का इजाफा कर अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि प्र०कं0 1015/12 इ०फो० पुलिस मालनपुर बनाम बीरेन्द्र के नाम से संचालित है ।

- आवेदक घटना से पूर्व फेक्ट्री में नौकरी कर प्रतिमाह 7,8 हजार रूपये कमाता था और नौकरी के समय पश्चात् अपने मकान पर किराना की दुकान चालू कर उससे भी कम से कम 7-8 हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेता था इस प्रकार आवेदक घटना से पहिले तकरीबन 15-16 हजार रूपया प्रतिमाह कमाता था किन्तु दुघर्टना होने के पश्चात् आवेदक घर पर रखी किराने की दुकान का संचालन नहीं कर पाता है जिससे आवेदक को प्रतिमाह तकरीबन 7-8 हजार रूपये का नुक्सान होता है और यदि दुघर्टना घटित नहीं होती तो निश्चित ही आवेदक अपनी जिन्दगी के 30 साल तक घर पर चल रही किराना की दुकान का संचालन करता जिससे उसे बंचित होना पड़ा जिससे आवेदक को एक साल में 84000 / – रूपये का नुक्सान सहन करना पड रहा है और जो 30 साल तक तकरीबन 2500000/- रूपये का नुक्सान हुआ है । आवेदक ने ईलाज के दौरान एन0डी0वेस0ब्रेन विशेषज्ञ एवं आर0एल0एस0 सेंगर, न्यूरोसर्जन से कई महीनों तक लगातार इलाज लिया है ओर उनके बताये अनुसार नियमित दवाईयों का सेवल किया है और सभी दबाईयां बाजार से खरीदी गयी जिनमें तकरीवन 50000 / - रूपये खर्च हुये । आवेदक को ईलाज के दौरान डॉक्टर के बताये अनुसार हल्का भोजन दूध दिलया, फल आदि सेव वगैराह का सेवन किया जिसमें भी तकरीबन आवेदक के 50000/- रूपये खर्च करना पड़े तथा आने में भी करीब 10000/- रूपया आवेदक को खर्च करना पड़े इस प्रकार आवेदक को आई चोटों के परिणाम स्वरूप 2601000 / – छबबीस लाख दस हजार रूपया की क्षति पर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।
- 5— अनावेदक क्रमांक—1 ने अपने जवाब में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त आवेदक के आवेदनपत्र के शेष अभिकथनों को इन्कार करते हुये बताया है कि उनके वाहन से किसी प्रकार की कोई दुघर्टना नहीं हुयी । उक्त वाहन को गलत रूप से घटना में लिप्त किया गया है और अनावेदक क्रमांक—1 के विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक—1 का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है ।
- 6— अनावेदक क्रमांक—2 बीमा कंपनी ने भी आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथनों को इन्कार करते हुये बताया कि आवेदक की आयु गलत लिखी गयी है और आवेदक कोई नौकरी नहीं करता और न ही उसे कोई वेतन मिलता है । आवेदक के कोई चोट फ्रेक्चर व स्थायी विकलांगता कारित नहीं हुई है ।

वाहन स्वामित्व एवं चालक के संबंध में वाहन का प्रमाणित रिजस्ट्रेशन एवं झ्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो पेश नहीं किया गया है तथा वाहन कं यू0पी075 एच 1225 का बीमा अभी पुष्टी होकर प्राप्त नहीं हुआ है । उसके अभाव में बीमा होना स्वीकार नहीं है । बीमा पॉलिसी की प्रमाणित पॉलिसी प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी है । आवेदक ने कथन मनगढंत, बनावटी व मिथ्यापूर्ण किया है जबकि अनावेदक कं01 की तेजी व लापरवाही से कोई दुघर्टना कारित नहीं हुयी है और न ही आवेदक को कोई चोट आयी है और न ही कोइ ईलाज हुआ है तथा आवेदक कोई भी फेक्ट्री में नौकरी नहीं करता था तथा उसे 7–8 हजार रूपये भी नहीं मिलते थे जिससे उसे कोई राशि का नुक्सान नहीं हुआ है । आवेदक के ईलाज में भी कोई राशि व्यय नहीं हुयी है । ऐसी दशा में आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है ।

7— आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं ।

Q IVIVI	पर गिपगरा गर्प गिप्पम् अगप्र तामग आप्रता प्रम्य जा रहे हे	
क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या दिनांक 23-9-12 को हरीराम की कुईया मालनपुर पर भिण्ड ग्वालियर आम रोड पर अनावेदक क्रमांक-1 के द्वारा डिस्कवर मोटरसायिकल क्रमांक यू0पी075एच 1225 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को चोट पहुंचाकर गंभीर उपहति कारित की ?	
2	क्या उपरोक्त दुघर्टना के कारण आवेदक को स्थाई असक्तता कारित हुई है ?	
3	क्या आवेदक फेक्ट्री में नौकरी कर सात आठ हजार रूपये प्रतिमाह की आमदनी अर्जित कर लेता था ?	
4	क्या अनावेदक क्रमांक 1 घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन मोटरसायकिल बीमा पॉलिसी तथा मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर चला रहा था ?	
5	क्या अनावेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किस से एवं कितना ?	

# / / निष्कर्ष के आधार / /

## बिन्दु क्रमांक-1:-

8— आवेदक कोशल किशोर सिंह आवेदक साक्षी कं01 ने अपने साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि दिनांक 23—9—12 की सुबह करीब 9 बजे वह अपनी मोटरसायिकल से मालनपुर फेक्ट्री में मजदूरी करने के लिये जा रहा था तभी गोहद की तरफ से डिस्कवर मोटरसायिकल कमांक यू0पी0 75 एफ 1225 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी साईकिल में टक्कर मारदी जिससे वह गिर गया तथा उसके सिर, पीठ व शरीर में अन्य जगह चोटें आयी । वहां पर उपस्थित उसके साले मुकेश पुत्री वर्षा ने उसे थाने में लेजाकर रिपोर्ट करायी थी । आवेदक के द्वारा आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि पेश की है जिसमें अन्तिम प्रतिवेदन प्र0पी01 एफ0आई0आर0 प्र0पी0 2, नक्शा मौका प्र0पी0 3, एम0एल0सी0 प्र0पी04 गिरफतारी पत्रक प्र0पी0 5, मैकेनिकल जांच प्र0पी06, जप्ती पत्रक प्र0पी0 7, सीटीस्केन रिपोर्ट प्र0पी08, सुपुर्दगीनामा प्र0पी09, ईलाज के पर्चे एवं बिल प्र0पी010 लगायत 24 पेश किये गये हैं । उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके द्वारा दुघर्टना घटित होने के तथ्य के संबंध में मुख्य परीक्षण में किये गये कथन अखण्डनीय रहा है ।

9— आवेदक के इस संबंध में किये गये कथन की पुष्टि आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी वर्षा आवेदक साक्षी कं0 2, मुकेश कुमार सिंह आवेदक साक्षी कं03 के कथनों से भी होती है । साक्षी वर्षा घटना के समय घटनास्थल के पास स्थित दुकान में सामान लेने गयी थी वहां पर उसके द्वारा घटना देखी गयी । साक्षी मुकेश कुमार आवेदक साक्षी कं03 भी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था । उक्त साक्षी के द्वारा भी स्पष्ट रूप से आवेदक के कथन की पुष्टि करते हुये मोटरसायिकल कमांक यू०पी075 एफ 1225 के चालक के द्वारा मोटरसायिकल को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुघर्टना कारित कर कौशलिकशोर को चोटें पहुंचाना बताया है । उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आये हैं । आवेदक के द्वारा किये गये अभिवचन तथा मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जिनमें कि आपराधिक प्रकरण से प्राप्त सत्य प्रतिलिपि जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 7 जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् थाना मालनपुर में लिखायी गयी है उसमें भी स्पष्ट रूप से घटना घटित होने के तथ्य एवं प्रश्नाधीन मोटरसायिकल के नम्बर का उल्लेख करते हुये रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है । अपराध विवरण फार्म प्र0पी0 3, एम०एल0सी0 रिपोर्ट प्र0पी04, गिरफतारी पत्रक प्र0पी05, मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी06, जप्ती पत्रक प्र0पी07, सी0टी0स्केन रिपोर्ट प्र0पी08, सुपुर्दगीनामा प्र0पी09 तथा प्रकरण में विवेचना उपरांत पुलिस के द्वारा अनावेदक कमांक—1 जो कि प्रश्नाधीन मोटरसायिकल का चालक है उसके विरुद्ध प्रस्तुत चालान की सत्य प्रतिलिपि प्र0पी01 जो

कि धारा 279,337,338 भा0द0सं0 में अभियोगपत्र पेश किया गया है । उक्त दस्तावेजों के आधार पर भी प्रश्नाधीन मोटरसायिकल के द्वारा दुघर्टना कारित करना एवं उक्त दुघर्टना में आवेदक को चोटें आना एवं उसकी अस्थि भंग होने की पुष्टि होती है जो कि चिकित्सीय प्रतिवेदन प्र0पी0 4 से उसके सिर में चोट आना और सी0टी0स्केन रिपोर्ट प्र0पी0 8 से उसके जायोमेटिक आर्च में फ्रेक्चर पाये जाने का उल्लेख है । जिससे कि इस बात की पुष्टि होती है कि दुघर्टना में आवेदक को चोटें आकर अस्थि भंग भी कारित हुआ था ।

10— आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त मौखित एवं दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है । जहां तक कि अनावेदक क्रमांक—1 जो कि प्रश्नाधीन मोटरसायिकल का चालक था का कथन भी प्रतिखण्डन स्वरूप नहीं कराया है जो कि इस संबंध में उपयुक्त साक्षी हो सकता था । इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है ।

11— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि दिनांक 23—9—12 को मालनपुर हरीराम की कुईया में अनावेदक क्रमांक—1 के द्वारा डिस्कवर मोटरसायिकल क्रमांक यू0पी075 एफ 1225 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुघर्टना कारित कर आवेदक को चोटें पहुंचाई जो कि आवेदक को गम्भीर उपहित कारित हुयी । तद्नुसार उक्त बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हां" में दिया जाता है ।

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2:-

12— उपरोक्त बिन्दु को प्रमाणित करने का भार आवेदक पर है । आवेदक के द्वारा अपने साक्ष्य कथनों में बताया गया है कि दुघर्टना के फलस्वरूप आयी चोटों से वह पूर्व की भांति अपनी आमदनी अर्जित नहीं कर पाता है । आवेदक के द्वारा दुघर्टना में आयी चोटों से उसे किसी प्रकार से स्थायी असक्तता कारित होने के वाबत् कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे कि यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि आवेदक को स्थायी अशक्तता कारित हुयी है और इस संबंध में न ही कोई चिकित्सीय प्रमाण पेश व प्रमाणित है और न ही ऐसा कोई तथ्य है कि आवेदक को स्थायी असक्तता आना प्रमाणित होता हो । तद्नुसार दुघर्टना में आयी चोटों से आवेदक को स्थायी असक्तता होना प्रमाणित नहीं है । अतः उक्त विचारणीय बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

## विचारणीय बिन्द् क्रमांक-3:-

13— आवेदक की ओर से अपने अभिवचन में यह बताया गया कि दुघर्टना के पूर्व वह मालनपुर फेक्ट्री में नौकरी कर 7—8 हजार रूपये कमा लेता था तथा दुघर्टना के फलस्वरूप वह आय अर्जित करने में असक्षम हो गया है । आवेदक के द्वारा आय अर्जित करने का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे कि फेक्ट्री में काम कर 7—8 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करने का तथ्य प्रमाणित होता हो । ऐसी दशा में आवेदक का उपरोक्त अभिवचन भी सम्पुष्ट साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता । तद्नुसार उपरोक्त वाद प्रश्न का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4:-

14— वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक—2 बीमा कंपनी पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन मोटरसायिकल बीमा पॉलिसी एवं मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था किन्तु इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक—2 बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है । निश्चित तौर से उपरोक्त बिन्दु जिसे कि प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक—2 बीमा कंपनी पर है के द्वारा कोई साक्ष्य पेश न करने के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान बिन्दु प्रमाणित होना नहीं पाया जाता । तद्नुसार उपरोक्त बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

## विचारणीय बिन्दू क्रमांक-5:-

15— प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्षों से यह प्रमाणित है कि अनावेदक कमांक—1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन मोटरसायिकल को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुघर्टना कारित की गयी है और उक्त दुघर्टना में आवेदक को अस्थि भंग होकर गंम्भीर उपहित कारित हुयी । घटना दिनांक को प्रश्नाधीन मोटरसायिकल अनावेदक कमांक—2 बीमा कंपनी के यहां बीमित न होने के संबंध में कोई भी आधार बीमा कंपनी अनावेदक कमांक—2 के द्वारा नहीं लिया गया है । ऐसी दशा में उपरोक्त प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक कमांक—2 बीमा कंपनी के यहां बीमित होना प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है । इस प्रकार दुघर्टना के कारण प्रतिकर की अदायगी का दायित्व अनावेदक कमांक—1 व 2 का होगा 16— आवेदक को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि दुघर्टना के फलस्वरूप ईलाज में जो कि ब्रेन विशेषज्ञ एवं न्यूरोसर्जन से कई महीने उसके द्वारा ईलाज कराया गया जिसमें करीब 50000/— रूपये खर्च होना और इस दौरान पोस्टिक आहार का भी सेवन किया जिसमें करीब 50000/— रूपये खर्च हुये और आने जाने में भी 10000/— रूपये खर्च हुये तथा वह फेक्ट्री में काम कर और दुकान कर प्रतिमाह आमदनी अर्जित कर लेता था जिससे 8—9 हजार रूपये आमदनी का नुक्सान होना आवेदक के द्वारा ईलाज के संबंध में बिल एवं पर्चे प्र0पी0 10 लगायत 24 पेश किये हैं ।

17— आवेदक कौशल किशोर को जिसे कि दुघर्टना में चोटों के कारण दिनांक 23—9—12 से मेडिकल परीक्षण उपरांत जे0एच0 ग्वालियर भेजा गया था वह दिनांक 23—9—12 से 26—9—12 तक हैड इंजूरी के ईलाज हेतु न्यूरोसर्जरी विभाग ग्वालियर में भर्ती रहा था जो कि उसके सी0टी0स्केन में उसके सिर में फेक्चर होना पाया गया था । आवेदक के द्वारा ईलाज के संबंध में जो बिल एवं पर्चे पेश किये गये हैं जो कि कुल राशि 1992 के हैं उपरोक्त बिल की राशि जो कि राउण्ड फिगर में 2000/— रूपये की राशि आवेदक को दिलाया जाना उचित होगा । इसके अतिरिक्त आवेदक जो कि सिर में चोटों के कारण जे0एच0 में तीन दिन तक जे0एच0 न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती रहा है और उसके बाद भी उसका ईलाज चला है उस दौरान ईलाज होना स्वभाविक है । ईलाज के दौरान उसे ग्वालियर आना जाना पडा होगा निश्चित तौर से उसमें खर्च हुआ होगा तथा भर्ती रहने के दौरान पोस्टिक आहार का भी सेवन करना पडा होगा । उक्त संबंध में यद्यपि आवेदक के द्वारा कोई बिल पेश नहीं कये गये हैं किन्तु उसमें खर्च होना स्वभाविक है । दुघर्टना के कारण आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भी सहन करना पडा होगा, उपरोक्त सभी मदों में आवेदक को बिल की राशि के अतिरिक्त 28000/— रूपये प्रतिकर स्वरूप

दिलाया जाना उचित होगा ।

18— आवेदक के द्वारा आमदनी के मद् में हानि वाबत् जो प्रतिकर की राशि बतायी जा रही है किन्तु आवेदक 7—8 हजार रूपये मासिक आमदनी अर्जित करना प्रमाणित नहीं है । फिर भी उक्त चोटों के कारण आवेदक जो कि 45 वर्ष की उम्र का अधेड व्यक्ति है वह 3 हजार रूपये मासिक आमदनी अर्जित कर लेता होगा ऐसा माना जा सकता है और उसे एक माह की आमदनी का दुघर्टना में आयी चोटों से प्रभावित हुआ होगा । इस प्रकार आमदनी के मद् में 3000/— रूपये दिलाया जाना उचित होगा । इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 33000/— रूपये दिलाया जाना उचित होगा ।

7

19— उपरोक्त प्रतिकर की राशि की अदायगी का जहां तक प्रश्न है । वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक—1 के स्वामित्व का था और वह उसका चालक भी था तथा अनावेदक क्रमांक—2 बीमा कंपनी के यहां बीमित था अतः प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 पर संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा एवं प्रथम दायित्व अनावेदक क्रमांक—2 बीमा कंपनी का होगा । उपरोक्त निर्धारित प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली दिनांक तक आवेदक 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज पाने का भी अधिकारी होगा । अतः उपरोक्त अनुसार आवेदक अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से कुल 33000/— तैतीस हजार रूपये प्रतिकर की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा । तद्नुसार उपरोक्त वाद बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हां" में दिया जाता है ।

#### सहायता एवं व्यय :-

20— उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के फलस्वरूप आवेदक की ओर से पेश क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्न अनुसार अवार्ड पारित किया जाता है :--

1—आवेदक अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से कुल प्रतिकर की राशि 33000/— रूपये प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

2—उक्त प्रतिकर की राशि पर आवेदक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली दिनांक तक पाने का भी अधिकारी होगा ।

3—उक्त प्रतिकर की राशि प्राप्त होने पर उसका 60 प्रतिशत भाग आवेदक के नाम सावधि खाते में तीन वर्ष के लिये जमा करायी जाये एवं शेष राशि आवेदक को नगद भुगतान करायी जाये । 4—अभिभाषक शुल्क 1000/— रूपये प्रमाणित किया जाता है ।

तद्नुसार व्यय तालिका बनायी जाये ।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि० गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल) अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि० गोहद जिला भिण्ड